रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च, 21, 1972/चैत्र 1, 1894

No. 158] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 1972/CHAITRA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March 1972

S.O. 216(E).—The following Order made by the President on the 21st March, 1972, is published for general information.—

THE NORTH-EASTERN AREAS REORGANISATION (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER NO. 1

In exercise of the powers conferred by section 87 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971) and of all other powers hereunto enabling, I, V. V. Giri, President of India, hereby make the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the North-Eastern Areas Reorganisation (Removal of Difficulties) Order No. 1.

(2) It shall come into force at once.

2. The election to be held in pursuance of section 12 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971) (hereinafter referred to as the said Act) to fill the seat allotted in the Council of States to the State of Meghalaya shall be held in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and the rules and orders made thereunder as if it were a bye-election to fill a casual vacancy in that House.

3. The election to be held to fill the seat allotted in the Council of States to the Union territory of Mizoram in pursuance of section 12 of the said Act by the electoral college for the Union territory under section 27A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), as amended by section 13 of the said Act and section 14 of the Government of Union Territories (Amendment) Act, 1971 (83 of 1971), shall be held in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and the rules and orders made thereunder as if it were a bye-election to fill a casual vacancy in that House.

V. V. GIRI,
President.

[No. 11/18/72-SR.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1972

का० आ० 216(अ).—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 21 मार्च, 1972 को बनाया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश सं० 1

मैं, व० वें० गिरी, भारत का राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस में समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करता हूं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश संख्या 1 होगा ।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगा ।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के अनुसरण में मेघालय राज्य को आवंटित राज्य सभा के स्थान को भरने के लिए किया जाने वाला निर्वाचन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और तद्धीन बनाये गये नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा, मानो वह उस सदन में कोई आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए उप-निर्वाचन हो ।

3. उ. अधिनियम की धारा 12 के अनुसरण में निर्वाचन सघ राज्य क्षेत्र को आवंटित राज्य सभा के स्थान को, उक्त अधिनियम की धारा 13 और संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) की धारा 14 द्वारा यथा संशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 27-क के अधीन उस संघ राज्य क्षेत्र के लिये निर्वाचकगण द्वारा, भरने के लिए किया जाने वाला निर्वाचन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा, मानो वह उस सदन में कोई रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हो।

व० वें० गिरी,

राष्ट्रपति

[सं० 1/18/72-उ०आर०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1972